मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/616/2017/26–2 भोपाल दिनांक 26/04/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय :– **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में कन्याओं को अतिरिक्त रुप से स्मार्ट फोन देने बाबत।**

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में कन्याओं को अतिरिक्त रुप से स्मार्ट फोन देने के संबंध में मंत्रि–परिषद् की बैठक दिनांक 18.4.2017 में निर्णय लिया गया है।

2. सामान्यतः माह अप्रैल, मई एवं जून में बडी संख्या में विवाह प्रतिवर्ष हो जाते है। चूँकि स्मार्टफोन क्रय की प्रक्रिया में समय लगना संभावित है, इसके दृष्टिगत क्रय प्रक्रिया निर्धारित होने तक निम्न व्यवस्था दी जा रही है।

i. स्मार्टफोन क्रय हेतु कन्याओं को रूपये 3000/– की राशि का चेक पृथक से भेंट किया जाये। अब कन्या का 2 चेक (रूपये 17000/– तथा रूपये 3000/–) दिए जायेंगे

ii. फोन के लिये भेंट तथा आर्शिवाद के रूप में मुख्यमंत्री जी का पत्र भी दिया जावे।

iii. सभी कन्याओं को समझाईश दी जाये कि वे एक माह के अंदर इस राशि से फोन क्रय कर लें तथा क्रय किये गये फोन की जानकारी के संबंध में एसएमएस करने हेतु पृथक से नम्बर उपलब्ध कराया जावेगा।

iv. इसके उपरांत प्रत्येक विकास खण्ड पर सभी नववधुओं को आमंत्रित कर एक डिजिटल प्रशिक्षण आयोजित कर फोन में आवश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड भी कराई जावें। इससे फोन का भौतिक सत्यापन भी हो सकेगा।

3. यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2017 के पश्चात् आयोजित होने वाले सामूहिक विवाहों पर लागू रहेगी।

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग

पृ. क्रमांक /617/2017/26–2/ भोपाल दिनांक 26 /04/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं विकास विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग